फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

अंशुल बनाम रामनिवास

किस्म मुकदमा :– 212 रा. का. अधि. 1955 | प्रकरण संख्या 10 सन् :– 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.24	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खसरा नमबर 4691 रकबा 0.73 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी व सहखातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी को बैचान करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्को पर मनन किया गया। इस स्तर पर प्रकरण के खण्डन हेतु पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुये व वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण को जरियें अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है की आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखे। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करे। प्रार्थी आगामी दिनांक को अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामील का शपथ पत्र आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत आवश्यक रूप से पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 09.02.24 को पेश हो। 3 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	513 - 18 16/1/24
	9/2/24 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 12/4/24 को पेश हो। आदेशानुसार R रीडर	

12.4.24 मूल वाद not press के खारिज किया जा चुका है अतः पत्रावली फैसल शुमार दर्ज रजिस्टर से बाद हो व दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)